Agenda Item No AU/BOM-22
-31-3/331

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रबन्ध बोर्ड की 21वीं बैठक का कार्यवृत जो कृषि अनुसन्धान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर में 29 जुलाई 1991 को सम्पन्न हुई :

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डा. हरिज्ञान सिंह	(कुलपति, अध्यक्ष)
2.	श्री आर. एस. कौशल	सदस्य
3.	श्री एम. एल. मेहता	,,
4.	श्री सी. एस. राजन	,,
5.	डा. जी. एस. शेखावत	,,
6.	श्री वी. एस. सिद्धू	,,
7.	डा. मानसिंह मनोहर	,,
8.	डा. पी. जोशी	,,
9.	डा. पी. एम. रायसिंघानी	,,
10.	डा. वी. वी. सिंह	,,
11.	श्री टी. पन्त	,,
12.	डा. के. वी. शर्मा	,,
13.	श्री वी. के. खुंटेटा	(शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि के रूप में)
14.	श्री आर. वी. सिंह	(विशेष आमंत्रित)
15.	श्री सुनील धारीवाल	(सदस्य सचिव)

डा. एन. एस. रन्धावा, डा. आर. सी. मेहरोत्रा, डा. आई. पी. एब्रोल ने बैठक में सम्मिलित होने में अपनी असमर्थता प्रकट की ।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया एवम् आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने एवम् इसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में सभी सदस्यों एवम् सरकार का सक्रिय सहयोग मिलता रहेगा ।

कृ. प. उ.

श्री एम. एल. मेहता, कृषि उत्पादन सचिव ने राज्य सरकार एवं सदस्यों के पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाया एवम् आशा व्यक्त की कि माननीय कुलपति के लम्बे अनुभव एवं प्रशासनिक दक्षता व उच्च स्तर के वैज्ञानिक अनुभव का लाभ न केवल विश्वविद्यालय को बल्कि राज्य को भी प्राप्त होगा ।

कृवि/प्रबो-21/91-2/298

प्रबन्ध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 16.3.91 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया । यह निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि निम्न संशोधनों/टिप्पणियों के साथ की जाय :

अ) मद संख्या प्रबो-20/91-1/275(अ) में उल्लिखित डा. वी. बी. सिंह के नाम को विलोपित कर पढ़ा जाय । (डा. वी. वी. सिंह ने उक्त उप समिति की बैठक में भाग नहीं लिया था)

ब) मद संख्या प्रबो-20/91-1/291 पर विचार करते समय कृषि अभियांत्रिकी फार्म, उम्मेदगंज, कोटा के घाटे में रहने पर चिन्ता व्यक्त की गई । यह निर्णय लिया गया कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक फार्म, चाहे वह बीज उत्पादन, अनुसन्धान अथवा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हो, के संबंध में निम्न ब्यौरा प्रस्तुत किया जाय । यह भी निर्णय लिया गया कि इन फार्मों पर फसल उत्पादन हेतु किया गया व्यय एवं आय का ब्यौरा भी हर वर्ष प्रस्तुत किया जाय ।

कृ. प. उ.

1) फार्म की कुल भूमि 2) खरीफ व रबी में कार्य में लाया गया कुल क्षेत्र 3) पड़त रही भूमि का क्षेत्र व उसके उपयोग में नहीं लाये जाने का कारण ।

स) प्रवो-20/91-1/296 विचार विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक की कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय ।

वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत की मद संख्या-4 में विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान प्रयुक्त पुलिस बल के प्रत्येक व्यक्ति हेतु 5/-(पाँच रूपये) जलपान हेतु प्रदान करने का निर्णय लिया गया था ।

विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस निर्णय को संशोधित कर अधीक्षक, परीक्षा केन्द्र को इस हेतु खर्च करने के लिये अधिकृत कर दिया जाय पर इस प्रयोजन हेतु खर्च की सीमा वित्त समिति द्वारा सुझाई गई सीमा से अधिक न हों ।

कृवि/प्रवो-21/91-2/299

मण्डल द्वारा अब तक लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति को निम्न टिप्पणी के साथ आलोकित किया जाय ।

अ) प्रबन्ध मण्डल के निर्णय संख्या-88-1/36 द्वारा एक समिति का गठन किया गया था । इस समिति को शोध की प्राथमिकताओं

को निर्धारित कर यह पता लगाने का कार्य सौंपा गया था कि अब तक हुई शोध से समस्याओं को सुलझाने का कितना योगदान मिला है व इस परिपेक्ष्य में शोध की उपलब्धियों का पता करने व वैज्ञानिकों के पूर्ण उपयोग के बारे में सुझाव देने थे । इस समिति ने अब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है और इसके अधिकतर सदस्य या तो सेवा निवृत हो चुके हैं या किन्हीं कारणों से विचार विमर्श हेतु उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये समिति का पुनर्गठन किया गया । इस समिति के सदस्य निम्न प्रकार हैं । समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना प्रतिवेदन उपरोक्त बिन्दुओं पर तुरन्त प्रस्तुत करे :

1. डा. एच. जी. सिंह - अध्यक्ष
2. श्री रघुवीर सिंह कौशल
3. डा. एन. एस. रन्धावा
4. कृषि उत्पादन सचिव
5. निदेशक, कृषि
6. डा. गोकुल सिंह शेखावत
7. डा. एम. एस. मनोहर
8. अधिष्ठाता, प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर ।
9. डा. पी. जोशी

ब) प्रबो-13/89-6/164 सेवा निवृति पर कर्मचारियों को 240 दिन के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान करने के प्रकरण को कुलपतियों की समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के संबंध में यह निर्णय

कृ. प. उ.

लिया गया कि इस प्रकरण को समाप्त किया जाय और राज्य सरकार के प्रावधानों को काम में लाया जाय ।

स॥ प्रवो-13/89-6/168 भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रस्ताव जिसमें विनिमयन की सहमति के आधार पर निर्धारित अवधि के लिये वैज्ञानिकों की प्रति नियुक्ति पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि एक समय बिन्दु पर पाँच वैज्ञानिकों को दो वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है । इस प्रकार प्रदेश के कृषि विभाग से एवं कृषि विश्वविद्यालय के बीच भी इसी तरह का प्रावधान का निर्णय लिया गया ।

क॥ प्रवो-90-1/206 द्वारा विश्वविद्यालय की पर्सपैक्टिव प्लान के प्रारूप के परीक्षण हेतु एक समिति का गठन किया गया था । निर्णय लिया गया कि मद संख्या प्रवो-88-1/36 हेतु गठित समिति ही पर्सपैक्टिव प्लान के प्रारूप का परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

ख॥ प्रवो-15/90-1/216 ॥ए॥ में चाही गई जन सम्पर्क अधिकारी के पद के सृजन पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण इस प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

ग॥ प्रवो-90-2/219 ॥सी॥ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान करने के संबंध में सभी संस्थानों से सूचना प्राप्त हो जाने पर इसे पुनः प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा जाए ।

कृ. प. उ.

घ) प्रवो-90-2/220 भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से विगत पाँच वर्षों में (1885-1990) प्राप्त राशि के उपयोग का परीक्षण करने के लिये एक समिति का गठन किया गया था ।
निर्णय लिया गया कि यह कार्य मद संख्या 88-1/36 में गठित समिति द्वारा किया जाय । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस अवधि में विभिन्न राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा प्रदान की गई सहायता का विवरण भी एकत्र किया जाय ।

च) स्थापना समिति की गत बैठक की मद संख्या90-5/34 में यह निर्णय किया गया था कि अध्यापकों की वरीयता निश्चित करने के लिये अन्य विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त की जाय । क्योंकि अभी तक केवल जोधपुर विश्वविद्यालय से ही सूचना प्राप्त हुई है अतः राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों (सुखाड़िया विश्वविद्यालय एवं राजस्थान विश्वविद्यालय) से सूचना प्राप्त करने हेतु विशिष्ट वाहक (प्रतिनिधि) को भेजकर एकत्रित करवाया जाय ।

छ) स्थापना समिति की मद संख्या 90-5/40 द्वारा विश्वविद्यालय सेवा नियमों के प्रारूप को मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय क्योंकि श्री टी.पन्त (सदस्य, प्रबन्ध मण्डल) के अनुसार उन्हें नियमों की प्रति उपलब्ध नहीं हुई है । अतः उन्हें एक प्रति भेजकर 15 दिन में अपनी सम्मति देने हेतु लिखा जाय ।

कृ.प.उ.

ज) प्रबन्ध बोर्ड की मद संख्या 90-4/254 (ब) द्वारा एस.टी.डी. सुविधा युक्त दूरभाष के खर्च का विवरण मांगा गया था । विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि इस सुविधा का सम्यक प्रयोग एवम् उसको नियंत्रित करने के लिये जो आदेश प्रसारित किये गये हैं उन्हें मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय । इस निर्णय के साथ यह सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाय ।

झ) प्रबो-90-4/264 एनवीएसएस व एलयूपी योजना जो बड़ोदा से स्थानान्तरित होकर उदयपुर में लाई गई है, को कार्यालय एवं रिहायशी भवन हेतु भूमि के आवंटन के प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण पुन: मण्डल के समक्ष अगली बैठक में रखा जाय ।

ट) प्रबो-90-4/265 अगले पाँच वर्षों में जो सेवा निवृत होने वाले अधिकारी/कर्मचारी अथवा शिक्षक हैं उनकी सूची मण्डल के समक्ष रखी जाय ताकि सेवा निवृति के पश्चात् उनको दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा के प्रकरण पर विचार किया जा सके ।

ठ) प्रबो-90-4/268 प्रावधायी निधि में विश्वविद्यालय के अंशदान को संशोधित करने के संबंध में विचार करने के पूर्व मण्डल की यह सम्मति रही कि इस प्रकरण पर अन्य विश्वविद्यालयों एवम् कृषि अनुसन्धान परिषद् से सूचना प्राप्त कर मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया

जाय ।

ड़) प्रबन्ध मण्डल की निर्णय संख्या 270 द्वारा गठित समिति को आर्डिनेन्स व स्टेट्यूट्स का परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई थी । यह समिति पूर्व गठन के अनुसार ही काम करती रहेगी पर यदि कुलपति महोदय चाहें तो स्वयं के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत कर सकते हैं ।

ढ़) प्रबो-90-5/272)।।)(ब) उक्त मद में चाही गई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण सुविधा संबंधित सूचना मंगाये जाने की अब आवश्यकता नहीं रही है । अतः इस प्रकरण को समाप्त किया जाय ।

ण) स्थापना समिति की मद संख्या 90-6/53 विश्वविद्यालय में चल रही विस्तार गतिविधियों को तीन क्षेत्रीय भागों में नियंत्रण की सुविधा हेतु विभक्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया । इस प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता का अनुभव करते हुए मण्डल का मत रहा कि उक्त मद को पुनः पूर्ण विवरण के साथ मण्डल की अगली बैठक में एक अलग मद के रूप में प्रस्तुत किया जाय । अनुसन्धान के समय में हुई चर्चा के दौरान इस बात को इंगित किया गया कि नोन प्लान में जो रिसर्च आपरेटिंग कोस्ट्स मिल रही है वह बहुत ही कम है और इसके अभाव में वैज्ञानिकों एवं सहयोगी कार्मिकों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है । इसके अतिरिक्त स्टेट प्लान वर्ष 1990-91 में जो पद

कृ.प.उ.

स्वीकृत हुवे हैं उनके अतिरिक्त रिसर्च आपरेटिंग कोस्ट्स का प्रावधान नहीं है । अतः निर्णय लिया गया कि रिसर्च आपरेटिंग कोस्ट्स उपलब्ध करवाने के लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के माडल अनुरूप रिसर्च आपरेटिंग कोस्ट प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार को संशोधित अनुमान का प्रावधान कर भेजा जावे ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/300 कुलपति द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि आदेशों को निम्न संशोधनों के साथ आलोकित किया जाय ।

इफको चेयर को राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर के साइल साईंस एण्ड एग्रीकल्चर कैमेस्ट्री विभाग में स्थापित करने के संबंध में पारित आदेश दिनांक 25.4.91 पर विचार किया गया ।

यह निर्णय लिया गया कि एक वर्ष तक उक्त आदेश लागू रखा जाय और प्राप्त परिणाम के आधार पर इस आदेश की पुनः समीक्षा की जाय ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/301 निदेशकों/अधिष्ठाताओं/सह-निदेशकों(अनु.)/विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने के संबंध में विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा प्रकाशित मोडल (राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान परियोजनाओं(नार्प)

कृ.प.उ.

के मैन्यूअल में बताये गये सिद्धान्तों के अनुरूप परिवर्तित एवं संशोधित कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/302/ विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों/आवश्यक सेवा वाले कर्मचारियों के कार्य घंटे निर्धारित करने एवं अन्य कार्यालयों के समय तथा आवश्यकतानुसार कार्य विभाजन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई । निर्णय लिया गया कि :

अ) विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालयों, महाविद्यालयों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, तकनीकी कर्मचारियों के कार्यालय समय में समरूपता रखने के उद्देश्य से कार्यालय समय दिनांक 1 अक्टूबर 1991 से प्रातः 9.00 से सायंकाल 4.00 बजे तक जिसमें आधे घंटे का भोजन अवकाश।

ब) यह भी निर्णय लिया गया कि फार्म के कार्य लिये आठ घंटे का निर्धारित समय रखा जाय एवम् आवश्यकतानुसार कार्य समय का निर्धारण किया जाय ।

राकृवि/प्रवो-21/91-303 वर्ष 1991-92 के बजट को जीरो बेस आधार पर प्रस्तुत करने के पूर्व निर्णय के अनुरूप बजट तैयार करने हेतु समय को बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि वर्ष 1990-91 रिवाईज्ड एस्टीमेट तथा वर्ष 1991-92 के बजट एस्टीमेट को मण्डल द्वारा चाही गई सूचनाएं सम्मिलित कर तैयार किया गया बजट नोट विचार विमर्श के बाद पारित कर दिया गया ।

कृ.प.उ.

राकृवि/प्रवो-21/91-2/304 भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा स्वीकृत शोध योजनाओं/परियोजनाओं में तकनीकी सहायकों के पद जो कि पूर्व में शोध व्याख्याता/शोध सहायक अथवा अन्य किसी पदनाम से स्वीकृत हैं को समरूपता प्रदान कर तकनीकी सहायक पदनाम से स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा जिन योजनाओं में वरिष्ठ तकनीकी सहायक का पद दिया गया है पर विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति तकनीकी सहायक की निकाल रखी है, उन सभी पदों को वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों में क्रमोन्नत कर दिया जाय।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/305 विश्वविद्यालय में कार्यरत कैज्यूअल श्रमिकों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने हेतु वरियता का निर्धारण करने के मामले पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि पहले से प्रचलित जिलावार वरियता तथा अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को एक जिले से दूसरे जिले में पद स्थापन होने पर उत्पन्न होने वाली मानवीय तथा प्रशासनिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कैज्युअल कर्मचारियों की जिलेवार वरीयता होगी व उस जिले में होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रिक्तियों को वरीयता के आधार पर पूर्व में स्वीकृत योजना के अनुरूप भरा जायेगा। इस योजना का नियम 7 तदनुसार संशोधित कर दिया जाय।

कृ.प.उ.

राकृवि/प्रवो-21/91-2/306 रिसर्च एसोसिएट्स अथवा लैक्चरार शोध सहायक अथवा व्याख्याता जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6 मई 1989 द्वारा सहायक आचार्य पदनाम दिया गया था को कैरियर एडवान्समैन्ट योजना का लाभ देने के प्रश्न पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि शोध सहायकों अथवा व्याख्याताओं को माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत वेतनमान 700-1600 दिया गया था । यद्यपि ये वेतनमान 1 सितम्बर 1976 को उन व्यक्तियों को दे दिया गया था जो उक्त दिनांक को शोध सहायक/व्याख्याता के रूप में कार्यरत थे पर वेतनमान दिये जाने के आदेश इन निर्णयों की अनुपालना में अलग-अलग समय पर प्रसारित किये गये थे ।

यह निर्णय लिया गया कि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान दिये जाने के आदेश जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए जिस दिनांक को जारी किये गये उस दिनांक से इस तरह के लोगों को कैरियर एडवान्समैन्ट योजना का लाभ भी देय होगा । शंकाओं के निवारण हेतु यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कैरियर एडवान्समैंट योजना का लाभ देने के लिये वेतनमान किस तिथि से मिल रहा है यह तथ्य ध्यान में नहीं रखा जायेगा अपितु जिस दिनांक के आदेश से यह वेतनमान दिया गया है उस दिनांक से कैरियर एडवान्समैन्ट योजना में वर्णित सेवावधि में

गणना की जायेगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि शोध सहायकों अथवा व्याख्याताओं में से यदि कोई व्यक्ति स्टेच्यूटरी चयन समिति से सहायक आचार्य के रूप में चयनित हो चुका है तो उसके सेवाकाल की गणना चयन की तिथि अथवा उपरोक्त वर्णित निर्णयों में से जो भी पहले हो मान्य होगी ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/307 वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करते समय सदस्यों का मत था विश्वविद्यालय में चल रहे शोध कार्य की गतिविधियों को विस्तृत उल्लेख मण्डल के समक्ष प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाय ।

निर्णय लिया गया कि क्षैत्रीय समिति संख्या-6 को प्रस्तुत किये जाने वाला प्रतिवेदन ही मण्डल के समक्ष भी प्रस्तुत किया जावे । इसी प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन कर वार्षिक प्रतिवेदन के रूप में इसे राज्य सरकार को विधान सभा में प्रस्तुत करने हेतु भेजा जा सकता है ।

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 का अनुमोदन किया गया ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/308 मण्डल के पूर्व निर्णय संख्या कृवि/प्रवो-20/91-1/296 की समिक्षा पर विचार स्थगित रखा गया ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/309 परीक्षकों अथवा विशेषज्ञों जिनको विश्व विद्यालय के किसी आदेश द्वारा गठित समितियों में बुलाया जाता है को आवास की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाय । इन आगन्तुकों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों को देय दैनिक भत्ता

भुगतान किया जायेगा ।

राकृवि/प्रबो-21/91-2/310 डा. एस. एम. भटनागर, सह आचार्य(बार्ले ब्रीडर) कृषि अनुसन्धान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर को एस्कोर्ट हार्ट चिकित्सालय, नई दिल्ली में उपचार कराने के लिए अग्रिम स्वीकृत राशि के रूप में 35,000/-रू. को अनुमोदित किया गया । डा. भटनागर को बची हुई राशि रू. 60,000/- की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया ।

राकृवि/प्रबो-21/91-2/311 अ) श्री एम. एल. गौड़, सेवानिवृत, उप शासन सचिव (वित्त) को दिनांक 10.7.90 से 4000/-रू. प्रति माह के स्थिर वेतन पर सचिव, एकल सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति के पद पर कार्य करने हेतु प्रदान किये जाने के आदेश प्रस्तुत किये गये ।

निर्णय लिया गया कि आदेश की पुष्टि की जाय ।

ब) विश्वविद्यालय के आदेश 31.3.91 जिसके द्वारा श्री मंगल बिहारी अध्यक्ष, एकल सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति को रू. 1500/-प्रतिमाह (रू. 300/-प्रति बैठक के अतिरिक्त) प्रदान किये जाने की पुष्टि की गई ।

स) कुलपति द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 6.4.91 जिसके द्वारा विश्व विद्यालय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बढ़ी दरों पर भुगतान किये जाने की पुष्टि की गई । भविष्य के लिये यह नीति निर्धारित की गई कि राज्य सरकार द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की स्वीकृति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान कर दी जाय तथा

उसे मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

राकृवि/प्रबो-21/91-2/312 संतोखबा दुर्लभजी मेमोरियल चिकित्सालय कम चिकित्सा शोध संस्थान, भवानीसिंह मार्ग, जयपुर में विश्व विद्यालय कर्मचारियों एवम् उनके आश्रितों के उपचार हेतु मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि मान्यता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाय ।

1. केवल Coronary Diseases and Bone and Joints.
के उपचार हेतु मान्यता प्रदान की जावे ।
2. उपचार हेतु काम में ली गई दवाईयों के मूल्यों का पुनर्भरण ।
3. पूर्ण परामर्श फीस व अन्य वसूल की गई राशि जिसमें कोटेज की सुविधा भी सम्मिलित होगी का पुनर्भरण राज्य सरकार के चिकित्सा पुनर्भरण नियमों के अनुरूप किया जायेगा ।

राकृवि/प्रबो-21/91-2/313 कुलपति सचिवालय में नियुक्त वरिष्ठ निजी सहायकों को विशेष वेतन देने के संबंध में तथा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 14.5.91 पर विचार किया गया । निर्णय लिया गया कि कुलपति सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ निजी सहायकों (दोनों) को निजी सचिव प्रथम एवं द्वितीय कहा जाय तथा दोनों को 200/-रू. प्रति माह विशेष वेतन देने की अनुमति प्रदान की परन्तु किसी को भी नि:शुल्क आवास सुविधा देय नहीं होगी ।

राकृवि/प्रबो-21/91-2/314 अधिष्ठाता/निदेशकों की नियुक्ति हेतु आयु सीमा के प्रश्न पर विचार किया गया ।

कृ.प.उ.

निर्णय लिया गया कि परिनियम 6(4) तथा 4(1) में संशोधन होने पश्चात् ही अधिष्ठाताओं/निदेशकों की सीधी भर्ती करने पर विचार किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-21/91-2/316 माह जून में अधिकारियों के चयन हेतु हुई चयन समितियों की सिफारिशों पर, जो मण्डल के समक्ष पटल पर रखी गई, पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि चयन समिति की सिफारिशों को अनुमोदित किया जाय । सहायक कुल सचिव के प्रत्याशियों को अनुभव में दो माह की छूट का अनुमोदन किया जाय ।

चयन समिति की बैठक	पद	चयनित प्रत्याशि वरियता के क्रम में
4.6.91	उप कुल सचिव	श्री आर. के. राजपूत श्री शरद कुमार श्रीवास्तव
5.6.91	सहायक कुलसचिव	श्री आर. ए. यादव श्री मुकुट विहारी शर्मा श्री एम. पी. जैन श्री मौहम्मद हारून श्री गजसिंह पोखरना
6.6.91	उप वित्तनियंत्रक	श्री डी. डी. गौड़
6.6.91	लेखाधिकारी	कोई प्रत्याशी योग्य नहीं पाया गया ।

राकृवि/प्रबो-21/91-2/317 विदेश यात्रा हेतु अंशदान स्वीकृति करने के लिये गठित समिति की बैठक दिनांक 24/25 मई 1991 के कार्यवृत

कृ. प. उ.

का अवलोकन किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रचलित नियमों का उल्लंघन कर यदि किसी प्रत्याशी को राशि स्वीकृत की गई है तो उसे वापिस वसूल करने की कार्यवाही की जाय ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/318 27 मई 1991 को आयोजित प्रावधायी निधि समिति की बैठक का कार्यवृत मण्डल की सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

निर्णय लिया गया कि इस संशोधित योजना की एक वर्ष पश्चात् समीक्षा की जाय ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/319 तकनीशियनों के पदों को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यताओं के निर्धारण हेतु प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया ।

विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि इस पद के संबंध में सभी तथ्यों का उल्लेख कर विस्तृत टिप्पणी मण्डल के समक्ष रखी जाय ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/320 अ§ डा. के. सी. शर्मा एवं डा. के. के. जैन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर यह चाहा कि इस विश्वविद्यालय में कुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जाय ।

मण्डल ने इस पर विचार कर निर्णय लिया कि इस मद को वापिस ले लिया जाय । भविष्य में आवश्यकता होने पर इसे प्रस्तुत किया जा सकता है ।

कृ. प. उ.

ब) विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को स्वयं का आवास निर्मित करने के लिये ऋण दिलाने के संबंध में विचार किया गया ।

विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि हुडको व राज्य सरकार के मध्य में होने जा रहे अनुबन्ध में राज्य सरकार के कर्मचारियों के अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाय । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आवासीय बोर्ड तथा एच.डी.एफ.सी. के ऋण देने संबंधि प्रस्तावों का अध्ययन किया जाय एवम् उनके द्वारा जो ब्याज ... ली जा रही है तथा राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध करवा रही है इसके अन्तर के पुनर्भरण के लिये बजट में प्रावधान करने हेतु कार्यवाही की जावे ।

स) वाहन ऋण दिलाने के प्रश्न पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अपने संसाधन को देखकर इस मद में प्रावधान करने हेतु प्रस्ताव लाये ।

राकृवि/प्रबो-21/91-2/32। निदेशक प्लानिंग और मोनेटरिंग के पद को निदेशक रेजिडेन्ट इन्स्ट्रक्शन के रूप में काम में लाने पर विचार किया गया ।

विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूर्ण कालिक अधिष्ठाता स्नातकोत्तर अध्ययन का पद भरा जाय । इस संदर्भ में जो निर्णय लिये गये हैं उन पर विचार स्थगित किया गया ।

कृ.प.उ.

राकृवि/प्रवो-21/91-2/322 उप शासन सचिव (कृषि) के पत्र दिनांक 6 जून 1991 के साथ संलग्न पैंशन नियमों का प्रारूप व सामान्य प्रावधायी निधि योजना के नियमों पर विचार किया गया कि नियमों को स्वीकृत किया जाय और इस योजना को विश्व विद्यालय में लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार को प्रेषित् कर दी जाय ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/323 डा. एस. वी. एस. यादव, सह आचार्य द्वारा इस विश्वविद्यालय में चयन से पूर्व हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय, पालमपुर में मिलने वाले वेतन को सुरक्षित रखकर इस विश्वविद्यालय में भी वही वेतन चयन के समय देने के प्रकरण पर विचार किया गया । इस तरह के अन्य व्यक्तियों के वेतन सुरक्षित रखने के लिये नीति निर्धारण करने के लिये प्रस्ताव पर भी विचार किया गया ।

यह निर्णय लिया गया कि मण्डल को यह जानकारी उपलब्ध कराई जाय कि क्या श्री यादव को हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय में नियमित रूप से चयनित किया गया था ।

राकृवि/प्रवो/21-91-2/324 श्री साधुराम यादव, कृषि पर्यवेक्षक, दुर्गापुरा, जयपुर के द्वारा उपचार पर खर्च की गई राशि रू. 2492.50 पुनर्भरण के प्रकरण पर विचार किया गया । श्री यादव द्वारा औषधि पर किये गये खर्च के अतिरिक्त अन्य मदों पर हुवे व्यय रू. 1660/-की स्वीकृति प्रदान की गई ।

कृ.प.उ.

राकृवि/प्रवो-21/91-2/325 श्री प्रेमचन्द घस्माना, महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु आग्रह किया गया है एवं कार्य योजना संलग्न की गई है, का प्रतिवेदन प्राप्त हुवा ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/326 श्री वी.डी.शर्मा, तकनीकी सहायक, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के पुत्र श्री मनोज शर्मा के उपचार पर खर्च की गई राशि रू. 2250/- जो उन्होंने संतोखवा दुलर्भजी चिकित्सालय, जयपुर में खर्च की है को नियमों में शिथिलता बरतते हुवे चिकित्सा पुनर्भरण की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/327 व 28 महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 20.4.91 व राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश दिनांक 3.7.91 विश्वविद्यालय में कुलपति एवं वित्त नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश सूचनार्थ प्राप्त हुवे ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/329 डा. एच.जी. सिंह, कुलपति महोदय द्वारा सी.ए.डी. चिकित्सा हेतु एस्कोर्ट चिकित्सालय, दिल्ली में उपचार कराने पर खर्च हुई राशि रू. 14,205/- के पुनर्भरण की संस्तुति की गई ।

राकृवि/प्रवो-21/91-2/330 प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 4.12.89 की मद संख्या राकृवि/प्रवो-14/89-7/179 के अन्तर्गत गठित स्थापना

कृ.प.उ.

समिति जिसकी अब आवश्यकता अनुभव नहीं हो रही है को निष्प्रभावी करने का निर्णय लिया गया ।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

ह0/-
(एच. जी. सिंह)
अध्यक्ष

ह0/-
(सुनील धारीवाल)
सदस्य सचिव